

राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र

(रा.से.नियम 1951 अध्याय-10 के नियम 70)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....के मामले का
विवरण (प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की उपस्थिति में आवेदक द्वारा भरा जाये)

नियुक्ति.....

आयु.....

कुल सेवा.....

पूर्व अवकाश की अवधि, यदि चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अनुपस्थित रहा हो.....

आदतें.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....का प्राधिकृत
चिकित्सा परिचारक मैं
(चिकित्सा अधिकारी का नाम) रोगी की सावधानीपूर्वक शारीरिक जाँच करने के पश्चात् प्रमाणित
करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(रोगी का नाम) का स्वास्थ्य खराब है और मैं सत्यनिष्ठा और गम्भीरतापूर्वक घोषणा करता हूँ कि
मेरे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उसके स्वस्थ होने के लिए ड्युटी से अनुपस्थित रहना आवश्यक है
और मैं सिफारिश करता हूँ कि उसे.....दिन/मास का अवकाश दिनांक.....
से स्वीकृत किय जाये। मेरी राय में अधिकारी के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना
आवश्यक है/नहीं है।

दिनांक.....

स्थान.....

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

.....

नम.....

पदनाम.....

विभाग

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के हस्ताक्षर
सील और रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के लिए चिकित्सा प्रमाण—पत्र

(रा.से.नियम 1951 अध्याय—10 के नियम 76)

मैं.....(चिकित्सा अधिकारी
का नाम) रोगी की सावधानीपूर्वक शारीरिक जाँच करने के पश्चात् इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ
कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....(रोगी का नाम)
जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये गये हैं,.....रोग से पीड़ित है और मेरे विचार में
उसके स्वस्थ होने के लिए दिनांक.....से.....की अवधि तक उसका
ड्युटी से अनुपस्थित रहना नितांत आवश्यक है।

दिनांक.....

स्थान.....

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

.....

नाम.....

पदनाम.....

विभाग.....

प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक के हस्ताक्षर
सील और रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित

::अरोग्य प्रमाण—पत्र::
(राज.सेवा.नियम 1951 के नियम 83)

मैं.....(अस्पताल/डिस्पेन्सरी का
नाम).....(सिविल शल्य चिकित्सक/चिकित्साधिकारी)
एतद्—द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री.....
पद.....विभाग.....
का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है और इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वह बीमारी से स्वस्थ (ठीक)
हो गया है और अब कर्तव्य पर जाने योग्य है। मैं, यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस मामले के
मूल चिकित्सा—प्रमाण पत्र/पत्रों ओर स्टेटमेंटो, जिनके आधार पर उसके अवकाश की
स्वीकृति/वृद्धि की गई है, को मूल रूप से जाँच लिया है और यह निर्णय लेने से पूर्व उन पर
विचार कर लिया गया है।

प्राधिकृत चिकित्सा परिचायक/
सिविल शल्य चिकित्सक के हस्ताक्षर